लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
041/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/96)	15.04.2026	06.05.2026

श्री मनोहर लाल अग्रवाल निवासी 14, महेश नगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

अपील आवेदन :– अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक 06.05.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 06.05.2026 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं. /041/2026(सू.अ.)(06.05)/278 दिनांक 27.04.2026 से लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 06.05.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 06.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांकः सरिश्ता/प्र.सं./041/2026 (सू.अ.)(06.05)/278 दिनांकः 27.04.2026 से उक्त प्रकरण में कमेन्ट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2026 को पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उन्हें वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा वे अपनी प्रथम अपील वापस लेना चाहते है। उक्त पत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्त/खारिज कराने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांकः स्था./फा0–70/2026–2027/367 दिनांक 05.05.2026 से प्रेषित कमेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा उनका गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. मंजू)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)